न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010032302025

Sessions Case/1298/2025

State of U.P. Vs. Raja

सत्र परीक्षण संख्या 1298/2025

मु0अ0सं0 184/2024
सरकार बनाम राजा आदि
अ0 धारा 70(2),76,137(2),352,351(3) बी0एन0एस0
5G/6,9G/10 पोक्सो एक्ट,
3(2)(v) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना–गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

04.07.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **राजा, आकिब अली व सहीम** जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त **राजा के विरूद्ध धारा 70(2), 137(2), 351(3) बी0एन0एस0,** 5G/6 **पोक्सो एक्ट,** एवं अभियुक्तगण **आकिब अली व सहीम के विरूद्ध धारा 137(2), 352, 76 बी0एन0एस0,** 9G/10 **पोक्सो एक्ट, 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट,**के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 18.07.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 04.07.2025

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.07.07 16:40:22 IST
Reason: charge
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010032302025

Sessions Case/1298/2025

State of U.P. Vs. Raja

सत्र परीक्षण संख्या 1298/2025

मु0अ0सं0 184/2024,सरकार बनाम राजा आदि
अ0 धारा 70(2),76,137(2),352,351(3) बी0एन0एस0
5G/6,9G/10 पोक्सो एक्ट,
3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना–गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण **राजा, आकिब अली व सहीम** पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 31.03.2025 को समय शाम करीब 05.00 बजे ग्राम अठसैनी के जंगल में कब्रिस्तान के पास बहद थाना गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड में आप **अभियुक्तगण राजा, आकिब अली व सहीम व** किशोर अपचारी ''ए'' ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' उम्र करीब साढे 11 वर्ष (16 वर्ष से कम) का उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहरण किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 137(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्त राजा** ने किशोर अपचारी ''ए'' के साथ मिलकर वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' उम्र करीब साढे 11 वर्ष (16 वर्ष से कम) के साथ सामूहिक बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 70(2) बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्त राजा** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' को को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः::– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप **अभियुक्त राजा** ने किशोर अपचारी ''ए'' के साथ मिलकर वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' उम्र करीब साढे 11 वर्ष (16 वर्ष से कम) पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5G/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और

जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः:–यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप **अभियुक्तगण आकिब अली, व सहीम** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौंच की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमतः:–यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्तगण आकिब अली, व सहीम** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' उम्र करीब साढे 11 वर्ष (16 वर्ष से कम) की लज्जा भंग करने/विवस्त्र के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 76 बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

सप्तमतः:–यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्तगण आकिब अली, व सहीम** ने वादिनी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' उम्र करीब साढे 11 वर्ष (16 वर्ष से कम) की लज्जा भंग करने/विवस्त्र के आशय से उस पर सामूहिक लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 9G/10 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अष्टमतः:–यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप **अभियुक्तगण आकिब अली, व सहीम** ने वादिनी ,जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''वी'' उम्र करीब साढे 11 वर्ष (16 वर्ष से कम) की लज्जा भंग करने/विवस्त्र के आशय से उस पर सामूहिक लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 04.07.2025

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 04.07.2025